an>

Title: Need to declare 1984 anti-sikh riot as a 'genocide'.

श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा (आनंदपुर साहिब): मैडम स्पीकर, आज दिल्ली हाई कोर्ट की ओर से बहुत महत्वपूर्ण फैसला आया है। 1984 में इन्नोसेंट सिखों का कत्लेआम हुआ, उसके एक आरोपी श्री सज्जन कुमार को आज लाइफ इम्प्रिजनमैंट सुनाई गई है। ...(व्यवधान) मैडम, सारे हाउस को उसका स्वागत करना चाहिए। इसमें दो बातें सामने आई हैं, एक तो पहले कांग्रेस के रूल में इसके दोषियों को छिपाकर रखा गया, एक झूठ को छिपाकर रखा गया। परंतु जब देश में सत्ता परिवर्तन आया तो ये आरोपी सजा भुगतने के लिए कटघरे में जा सके।

मैडम, दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में जो ... *हैं ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: नाम नहीं लेना है, नाम रिकार्ड पर नहीं जाएगा।

श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा : उनको सी.एम.चुना जा रहा है और इधर उनके साथियों को सजा दी जा रही है। ...(व्यवधान) मैं जानना चाहता हूं कि 1984 में जो इन्नोसेंट सिखों का कत्ल हुआ, उसे जेनोसाइड डिक्लेयर किया जाए। बच्चों के गलों में टायर डालकर, उनमें आग लगाकर ये कांग्रेसी नाचते रहे, उनकी लाशों पर ये डांस करते रहे। तब सिख कौम को मारने के लिए यह नरसंहार हुआ। उस 1984 के कत्लेआम को जेनोसाइड डिक्लेयर करे।

मैं कांग्रेस से कहना चाहता हूं कि कांग्रेस ने इतिहास से सबक नहीं सीखा। यदि ...* को सी.एम. बनाया तो कांग्रेस को सिख समाज का गुस्सा झेलना पड़ेगा।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आप लोग बैठिए।

श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा : सिख समाज इस गुस्से में बड़ा पिटा है, देर से आए, पर दुरुस्त नहीं आए। कूड़ निखुटे नानका ओरक सच रही। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: श्री अजय मिश्रा, श्रीमती मीनाक्षी लेखी, श्री राजेन्द्र अग्रवाल, श्री भैरों प्रसाद मिश्र तथा श्री निशिकान्त दुबे को श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

गणेश सिंह जी, आप बोलिये।